(74)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3138–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–8–15 पारित द्वारा तहसीलदार, खण्डवा प्रकरण क्रमांक 2/अ–13/2014–15.

बिहारी पाल पुत्र सरजू पाल
निवासी ग्राम जूनापानी (वीरपुर कुण्डेश्वर)
तहसील व जिला पूर्व निमाड़ खण्डवा .....आवेदक

विरूद्ध

गोकुल पुत्र देवीदीन पाल
निवासी ग्राम जूनापानी (वीरपुर कुण्डेश्वर)
तहसील व जिला पूर्व निमाड खण्ड़वा
हाल मुकाम 315, कल्पना नगर,
रायसेन रोड, भोपाल .....अनावेदक

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/7/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–8–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, खण्डवा के समक्ष संहिता की धारा 131 के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम वीरपुर कुण्डेश्वर स्थित भूमि खसरा नम्बर 279 रकबा 0.26 हेक्टेयर उसके नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज है । उक्त भूमि पर आने–जाने का रास्ता कदीमी खसरा नम्बर 264, 265, 267 एवं 269 शासकीय भूमि से है, जिसे आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया

है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–13/2014–15 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक द्वारा अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 19–8–15 को अंतरिम आदेश पारित कर अंतरिम रूप से रास्ता खुलवाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर नहीं दिया गया है, और न ही उनके द्वारा कोई स्थल निरीक्षण किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष अपने जवाब में बताया गया था कि अनावेदक द्वारा जिस खसरा नम्बरों से रास्ता होने का उल्लेख किया गया है, उन खसरा नम्बरों पर कभी रास्ता नहीं रहा है, और न ही वर्तमान में है, बल्कि अनावेदक के लिए वैकल्पिक मार्ग खसरा नम्बर 278, 277 एवं 276 की पूर्व दिशा से होकर उपलब्ध है, और इसी रास्ते का उपयोग अन्य कृषकगण करते आ रहे हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, और न ही भूमि शासकीय है । इस आधार पर कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की है, जिसे उसके पिता द्वारा 60 वर्ष पूर्व क्रय की गई थी । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार को नया रास्ता निर्मित करने का कोई अधिकार नहीं है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि उभय पक्ष के मध्य व्यवहार न्यायालय में प्रकरण कमांक 37ए/2015 विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में राजस्व न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही नहीं की जा सकती है । इस वैधानिक बिन्दु पर बिना विचार किये तहसीलदार द्वारा जो आदेश पारित किया गया है, वह नितांत, अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा अंतरिम आदेश पारित कर अनावेदक को शासकीय भूमि से रास्ता दिया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अभी अंतिम आदेश

पारित किया जाना है, जहां आवेदक को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थितियों में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, खण्डवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–8–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर